संख्या- 12/2056/12-2-2014-बजट-8/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2014**

विषय: प्रदेश के कृषकों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट की वितरण योजनान्तर्त वित्तीय वर्ष 2014-15 (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: उर्वरक/01/जिंक/02 दिनांक 02 अप्रैल 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-105-खाद तथा उर्वरक-05-प्रदेश के कृषकों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट का वितरण के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 130640 हजार के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) हेतु धनराशि रू0 43546 हजार (रूपये चार करोड पैंतीस लाख छियालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण फेजिंग करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या 2066/12-2-2012-बजट;8/2010 दिनांक 17 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/ हो रहा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट

http://shasanadesh.up.nic.in

मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-105-खाद तथा उर्वरक-05-प्रदेश के कृषकों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट का वितरण के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8; यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795-दस/2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अतः इसमें निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या: 2056 (1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in